मुकदमा संख्या:- 60/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
12.05.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 7 की शामलाती खातेदारी भूमि सरहद मौजा जाडूंका के खसरा संख्या 101 रकबा 6.20 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सं-81 सरहद मौजा जाडूका में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 7 के नाम से संयुक्त व शामलाती दर्ज है जिसमें प्रार्थी सं. 1 का 1/24 हिस्सा, प्रार्थी सं-2 का 17461/186000 हिस्सा, प्रार्थी सं-3 का 67/1240 हिस्सा, प्रार्थी संख्या-4 का 67/1240 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 का 13757/93000 हिस्सा, प्रार्थी सं-6 का 3297/62000 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या-1 का 793/4960 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 7/124 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या-3 का 16601/124000 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या-4 का 7/160 हिस्सा, अप्रार्थी सं-5 लगायत 7 प्रत्येक का 7/124, 7/128 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 7 अपने-अपने हिस्से अनुसार	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज
	मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। मौके पर वादग्रस्त आराजी संयुक्त है, जिसका भौतिक रूप से कोई विभाजन नहीं हुआ है, अतः प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जेशुदा आराजी काबिज होकर काश्त करते तथा बेर, नीम व वृक्षों का उपयोग-उपभोग करते हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार होने से उनको अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करने तथा उपयोग-उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है तथा वे अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाने का भी हक हासिल है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी की है। संयुक्त में शामिलाती भूमि होने से काश्त करने व उपयोग उपभोग करने में व्यवहारिक रूप से परेशानी रहती है व विवाद आपसी विवाद होता रहता है तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि में बंटवारा नहीं होने से अच्छी तरह से उन्नत उपजाऊ भी नहीं कर सकते हैं तथा जैक आदि के ऋण लेने में भी शामिलाती भूमि होने से परेशानी रहती है जिससे प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर

मुकदमा संख्या :- 60/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तथा ग्राम- [illegible] [illegible] [illegible] कोर्ट रूप से विभाजन करवाना चाहता है। अप्रार्थी संख्या- 1 लगायत 7 व अन्य किसी भी व्यक्ति को वादग्रस्त आराजी का विधिवत् विभाजन करवा। क्योंकि आराजी का कोई भी हिस्सा बेचान/क्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं है फिर भी अप्रार्थी सं.-1 लगायत 7 वादग्रस्त आराजी के मौके पर शामलाती एवं संयुक्त है उनका विभाजन करवाए बगैर अवैधानिक रूप से किसी अनजान व बाहरी व [illegible] व्यक्ति को बेचान करने की धमकियां दे रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 ने मिलकर प्रार्थीगण को धमकियां धमकी दी है उक्त जमीन का हम बेचान करेंगे इसलिए तुम अपना कब्जा छोड़ आराजी से हट जाओ वरना हम जबरदस्ती तुमसे कब्जा ले लेंगे। अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 7 को वादग्रस्त संयुक्त आराजी के बेचान हस्तांतरण करने व प्रार्थीगण के कब्जा व उपयोग-उपभोग में दखलंदाजी करने एवं मौके पर विभाजन से पूर्व अपनी	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

P.3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज
	मनमर्जी माफिक विशेष हिस्से पर कब्जा का कच्चा-पक्का निर्माण तथा बेचान हस्तांतरण करने का कोई हक नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त अवैध हस्तांतरण करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी न्यायोचित है। अतः निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण बरखिलाफ अप्रार्थीगण जुज़ वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जावे कि सरहद मौजा म.ज.कुंआ की वाकेयात आराजी के खसरा संख्या 101 रकबा 6.20 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के हिस्से में तथा कब्जा काश्त के उपयोग-उपभोग में दखलंदाजी न तो स्वयं करें व न ही अन्य किसी से करावें तथा अप्रार्थीगण बेचान/हस्तांतरण आदि नहीं करें। अप्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबंद फरमावें। हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की स्थगन बहस सुनी, उस पर मनन किया, पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अच्छी भांति अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी शामलाती एवं संयुक्त खातेदारी दर्ज है इस प्रकार संयुक्त खातेदारी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से उभयपक्ष को नुकसान होगा, दोनों पक्षों को बैंक ऋण लेने, कृषि आदान-अनुदान, कृषि का विकास आदि करने में कठिनाई आती होगी। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के विधिवत विभाजन हेतु वाद पेश किया है जो विवाद्यक तनकीयात निर्धारण के पश्चात तय हो जायेगा जिससे विभाजन में अपना-अपना हिस्सा तय हो जायेगा। इस प्रकार संयुक्त खातेदारी में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतया साबित व सारवान नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से रक्त कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर, साचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner